न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या : 02/2023 प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति

अनवान मुकदमा :–

1. गांधीराम पुत्र बृजाराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. आचुकी पत्नी कालुराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजाराम पुत्र धीरसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राज0।
2. सावित्री पत्नी धीरसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावसतर जिला हनुमानगढ राज0।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राकेशकुमार भाकर वकील –प्रार्थीगण
राजपेरोकार अप्रार्थी सं. 3

निर्णय दिनांक 31.1.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वकील प्रार्थीगण ने दिनांक 18.01.2023 को विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति इस प्रकार पेश किया कि चक 23 आर0डब्लयू0डी के खाता संख्या 10 के प0नं0 222/419 मु0नं0 15 के किला नं0 3, 4 की 0.5060है0, 6 ता 8 की 0.7590है0, 14 ता 17 की 1.0120है0, 23/2 की 0.0630है0, 24, 25 की 0.5060है0 कुल 2.8460है0 भूमि हम प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से ब हिस्सा बराबर मे सांझा खाता मे दर्ज कागजात पटवार सरकार है। चक 23 आर0डब्लयू0डी के खाता संख्या 59 के प0नं0 222/419 मु0नं0 15 के किला नं0 1/2 की 0.2280है0, 2, 9 की 0.5060है0, 10/1 की 0.2280है0, 11/2 की 0.2280है0, 12, 13, 18, 19 की 1.0120है0, 20/1 की 0.2280है0, 21/1 की 0.2280है0, 22 की 0.2530है0, 23/1 की 0.1900है0 कुल 3.1010है0 अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से ब0हि0ब0 मे सांझा खाता मे दर्ज कागजात पटवार सरकार है। प्रार्थीगण अपने नाम की चक 23 आर0डब्लयू0डी के खाता संख्या 10 के प0नं0 222/419 मु0नं0 15 के किला नं0 3, 4 की 0.5060है0, 6 ता 8 की 0.7590है0, 14 ता 17 की 1.0120है0, 23/2 की 0.0630है0, 24, 25 की 0.5060है0 कुल 2.8460है0 भूमि मे आने जाने हेतु कोई भी मंजूरशुदा सुविधाजनक रास्ता नही लगता है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि आवागमन हेतु अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम दर्ज चक 23 आर0डब्लयू0डी के प0नं0 222/419 मु0नं0 15 के किला नं0 1 व 2 की उतरी सींव पर पूर्व से पश्चिम लम्बी भूमि से आवागमन कर अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते है तथा यही रास्ता प्रार्थीगण के लिए सुविधाजनक एव उपयुक्त रास्ता है। उपरोक्त रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.31 13:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

स्वीकृतशुदा रास्ता नही होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 आये दिन अपनी कृषि भूमि के चक 23 आर0डब्लयू0डी के प0नं0 222/419 मु0नं0 15 के किला नं0 1 व 2 की उतरी सींव पर चल रहे रास्ता को बन्द करने की धमकी देते रहते है। अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उक्त चालू रास्ता को बन्द करते है तो हम प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने से महरूम होना पड़ेगा। इसलिए उक्त चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन दर्ज किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के नाम दर्ज चक 23 आर0डब्लयू0डी के प0नं0 222/419 मु0नं0 15 के किला नं0 1 की 0.0130है0 उतरी सींव पर पूर्व से पश्चिम लम्बी व 2 की 0.0130है0 उतरी सींव पर पूर्व से पश्चिम लम्बी भूमि में वर्तमान में चल रहे रास्ता से अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते है। लेकिन उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन दर्ज न होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त बात का मुफाद फायदा उठा कर चालू रास्ता को कभी भी बन्द करने की धमकी दे रहे है। अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 उक्त रास्ता को बन्द करते है तो हम प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करना कतेई सम्भव नही होगा व हम प्रार्थीगण को अहम नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थीगण उपरोक्त चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन दर्ज करवाने के दावेदार है तथा यही आधार प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण नें अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को कई बार कहा कि वे चक 23 आर0डब्लयू0डी के प0नं0 222/419 मु0नं0 15 के किला नं0 1 की 0.0130है0 उतरी सींव पर पूर्व से पश्चिम लम्बी व 2 की 0.0130है0 उतरी सींव पर पूर्व से पश्चिम लम्बी भूमि को गै0मु0रास्ता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें। लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त बात मानने से बमुकाम सरदारपुरा में दिनांक 05.01.2023 को कतई इन्कार हो गये, यही बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र है।प्रार्थीगण अपने नाम की चक 23 आर0डब्लयू0डी के प0नं0 222/419 मु0नं0 15 के किला नं0 23/2 की 0. 0260है0 पश्चिमी पासा की उतर से दक्षिण लम्बी भूमि रास्ता के बदले में अप्रार्थीगण को या वर्तमान बाजार मूल्य पर भूमि कीमत की दोगुनी राशि अप्रार्थीगण को देने के लिए रजामन्द एवं सहमत है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज नजरी नक्शा 23 आरडब्ल्यूडी, जमाबन्दी 23 आरडब्ल्यूडी बहक आचुकी वगैरह, जमाबन्दी 23 आरडब्ल्यूडी बहक राजाराम वगैरह पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार रावतसर से पत्र कमांक 140 दिनांक 24.04.2024 के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार ने अपने पत्रांक दि[illegible]0.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी/अप्रार्थी[illegible] भूमि दर्ज है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिये प.नं. 222/419(15) कि.नं. [illegible]/0.013 उतरी, 2/.013 उतरी भूमि रास्ता के काम में ले रहें है। प्रार्थी के खेत [illegible] निकटतम दुरी पर प.नं. 222/419(15) कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक 0.025 है. गै.मु. रास्ता गुजरता है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.31 13:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

को रास्ता दिया जाना आत्यांतिक आवश्यक है। प्रार्थी के पास वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। पक्षकार जमीन के बदले जमीन पर सहमत है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजुद विधिवत रजिस्टर्ड नोटिस तामिल के उपस्थित नहीं आये इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाती है।

वकुलाए फरिकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। दूसरी तरफ राजपेरोकार ने अपनी बहस में रिपोर्ट के तथ्यों को दोहराया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व तहसीलदार रावतसर की रिपोर्ट आदि से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज चक 23 आरडब्ल्यूडी के प0नं0 222/419 मु0नं0 15 के किला नं0 1 की 0.0130 है0 उतरी सींव पर पूर्व से पश्चिम लम्बी व 2 की 0.0130है0 उतरी सींव पर पूर्व से पश्चिम लम्बी भूमि को गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा रास्ता भूमि के बदले में प्रार्थीगण के नाम दर्ज चक 23 आर0डब्लयू0डी के प0नं0 222/419 मु0नं0 15 के किला नं0 23/2 की 0.0260है0 पश्चिमी पासा की उतर से दक्षिण लम्बी भूमि रास्ता की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद हेतु तहसीलदार राजस्व रावतसर को पत्र लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास आज दिनांक 31.1.2025 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.31 13:49:05 IST
Reason: SelfAttested